[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 26/2021 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 जून, 2021

सा॰ का॰नि॰........... (अ)-केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 45 के उप नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त , बोर्ड कि अनुमति से , भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 11/2021-केन्द्रीय कर , दिनांक 1 मई 2021, जिसे सा.का.नि. 307 (अ), दिनांक 1 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद में "मई 2021 के 31वें दिन" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "जून 2021 के 30वें दिन" शब्दों, अक्षरों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 31 मई 2021 से प्रवृत हुई मानी जाएगी ।

[फ़ा.सं. सीबीआइसी 20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 11/2021- केन्द्रीय कर, दिनांक 1 मई 2021 , जिसे सा.का.नि. 307 (अ), दिनांक 1 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।